न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर०ए०एस०)

जीसीएमएस नं. 2024 / 496
मुकदमा नम्बर 176 / 2024 दर्ज दिनांक– 06.11.2024

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

01. सुभाष पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 443)
02. झाबर पुत्र भानाराम
03. मोहन
04. विजय–
05. मनीराम
06. शीशराम–
07. हवा सिंह पुत्रगण कैलाशचन्द जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 347)
08. रामेश्वरी पत्नी कैलाशचन्द जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 347)
09. महेंद्र
10. विधाधर पुत्र चन्द्रा
11. सूरजी पत्नी चन्द्रा जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 347)
12. आशाराम
13. कुरडाराम पुत्रगण तेजाराम जाति जाट निवासी कोलसिया
14. रिसाली पुत्री तेजाराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 07)
15. इन्द्राज
16. महीपाल पुत्रगण भागीरथ जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 142)
17. मोहनी पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 142)
18. घासीराम पुत्र नाथूराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 142)
19. नानड पुत्र हुक्मा जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 142) –
20. रामकरण दत्तक पुत्र धूडाराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 142)
21. श्रीराम पुत्र भगवाना जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 142)
22. नंदलाल
23. सुरेश पुत्रगण जालूराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 133)
24. धर्मपाल पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 133)

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

25. ओमकृष्ण पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 133)
26. नरेन्द्र सिह दूत पुत्र जालूराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 133)
27. योगेश कुमार पुत्र जालूराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 133)
28. इन्द्रा पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 21)
29. कजोडमल पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 21)
30. कमल कुमार पुत्र नारायणाराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 21)
31. गुमानी पुत्री काना जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 21).
32. झीमकोरी पत्नी स्व. कालूराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 21)
33. दुर्गी पत्नी रत्नाराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 21)
34. दिनेश कुमार पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 21)
35. नानची देवी पत्नी स्व. हरलाल जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 21)
36. परमेश्वरी पत्नी स्व. नारायण राम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 21)
37. बीरबल सिह पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 21)
38. मुखराम पुत्र उदा जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता संख्या 21)
39. मन्जू पुत्री हरलाल जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 21)
40. मूलचन्द पुत्र काना जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 21)
41. रूकमा पुत्री काना जाति जाट निवासी कोलशिया (खाता सं. 21)
42. रणजीत सिंह पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 21)
43. रूपी पुत्री काना जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 21)
44. रागधन पुत्र काना जाति जाट निवासी कोलशिया (खाता सं. 21)
45. सुगनी पुत्री काना जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 21)
46. सुरेश पुत्र रामधन जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 21)
47. सरिता पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 21)
48. शीशराम
49. सुभाष
50. बलराम पुत्रगण हरलाल जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 21)
51. सज्जन कुमार–
52. राकेश कुमार
53. उमेश कुमार पुत्रगण रामप्रताप जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 69)
54. गुलाबी देवी पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 69)
55. ममता पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 69)
56. राजेन्द्र पुत्र चुना जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 69)
57. रामेश्वर पुत्र डालूराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 343)
58. महेश

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

59. राकेश
60. राजेश
61. संजीव पुत्रगण सालूराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 417)
62. केशरी पत्नी सालूराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 417)
63. महीपाल पुत्र पीथाराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 417)
64. मोहनलाल पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 417)
65. सांवरमल पुत्र पीथाराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 417)
66. हरीराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 417)
67. अकिंता पुत्री गिरधारी लाल जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 383)
68. कमला पुत्री रामेश्वर लाल जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 383)
69. चाना पुत्री रामेश्वर लाल जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 383)
70. जगदीश प्रसाद पुत्र लिखनाराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 383)
71. निकिता पुत्री गिरधारी लाल जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 383)
72. बजरंग लाल पुत्र रामेश्वर लाल जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 383) –
73. ममता पत्नी स्व. गिरधारीलाल जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 383) –
74. विमला पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 383)
75. शीशपाल पुत्र लिखमाराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 383)
76. संतोष पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 383)
77. सुमन पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 383)
78. सुमित्रा पुत्री रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 383)
79. सुमित्रा पत्नी सुलतान सिंह जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 383)
80. हरीसिंह पुत्र सुल्तान जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 383)
81. रामावतार पुत्रगण रामेश्वर जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 383)
82. दयानन्द पुत्र हीराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 276)
83. नेतराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 276)
84. नितिन कुमार पुत्र बिरबल जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 276)
85. नितू पुत्री बिरबल जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 276)
86. पतासी पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 276)
87. पारा पत्नी हीराराम जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 276)
88. बिमला देवी पत्नी स्व. बिरबल जाति जाट निवासी कोलसिया (खाता सं. 276)
89. स्नेहलता पुत्री हीराराम जाति जाट निवासी कोलसिया(खाता सं. 276)
90. मामचन्द पुत्र मुन्नाराम जाति जाट निवासी कोलसिया(खाता सं. 276)

अनावेदक

उपखण्ड अधिकारी

आवेदक : — पैरो.राज (तहसीलदार नवलगढ)
अनावेदक सं. 2,13,16,17,22,24,30,40,44,48,52,58,81,90 :— सहमति
अनावेदक सं. 11 :— फौत होने तथा वारिसान रिकार्ड पर होने से प्रा. पत्र से नाम हजफ
अनावेदक सं. 1,3 लगा. 10,12,14,15,18 से 21,23,25 से 29,31 से 39,41 से 43,45 से 47,49 से 51,53से 56,59 से 80,82 से 89 :— एक पक्षीय
अनावेदक सं. 57:— श्री दिपेन्द्र सिंह जाखड

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 131,132 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 15.07.2025**

प्रार्थी तहसीलदार नवलगढ द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 131,132 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि,राजस्व ग्राम कोलसिया के राजस्व अभिलेख में प्रचलित/कटाणी/बारहमासी रास्ते को रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। प्रा. पत्र के साथ ग्रामवासी कोलसिया का संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रा. पत्र,राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु प्रस्ताव जिसमे पटवारी हल्का, भू.अ.निरीक्षक, व तहसीलदार नवलगढ के हस्ताक्षर है,नजरी नक्शा,जमाबन्दीयां व काश्तकारों द्वारा दिये गये सहमति पत्र इत्यादी पेश किये है।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक सं. 2,13,16,17,22,24,30,40,44,48,52,58,81,90 :— का सहमति का पत्र संलग्न किया है। अनावेदक सं. 11:— फौत होने तथा वारिसान रिकार्ड पर होने से प्रा. पत्र से नाम हजफ किया गया है। अनावेदक सं. 1,3 लगा. 10,12,14,15,18 से 21,23,25 से 29,31 से 39,41 से 43,45 से 47,49 से 51,53से 56,59 से 80,82 से 89 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अनावेदक सं. 57 की और से वकील श्री दिपेन्द्र सिंह जाखड उपस्थित हो जवाब प्रा. पत्र निम्न प्रकार से पेश किया:—

यह कि पटवारी हल्का राजस्व ग्राम कोलसिया ने दिनांक 15.10.2024 को एक रास्ता प्रस्ताव तैयार करके तहसीलदार नवलगढ़ को प्रेषित किया था, जिसको तहसीलदार नवलगढ़ ने प्रमाणित करके अपनी अनुशंषा के साथ उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/राजस्व/24/782 दिनांक 22.10.2024 के जरिये न्यायालय श्रीमान में प्रेषित कर दिया जिसके आधार पर वर्तमान प्रकरण बाबत राजस्व अभिलेख में कटानी रास्ता अंकित कराने हेतु दर्ज किया गया है। पटवारी हल्का राजस्व ग्राम कोलसिया ने कुछेक व्यक्तियों के साथ में मिली—भगत व सांठगांठ करके अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उपरोक्त रास्ता प्रस्ताव दिनांक 15.10.2024 में गलत तथ्यों का अंकन करके उक्त प्रस्ताव को गलत तरीके से तैयार किया है। यह कि राजस्व ग्राम कोलसिया की सरहद में स्थित नया खसरा संख्या 682 का खातेदार—काश्तकार अनावेदक संख्या 57 रामेश्वर लाल है। अनावेदक रामेश्वर लाल के उक्त खेत के दक्षिणी दिशा में सटकर नया खसरा संख्या 701 स्थित है जिसकें खातेदार—काश्तकार सज्जन कुमार (अनावेदक संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

51) वगैरह हैं। उक्त नया खसरा संख्या 701 के राजस्व रिकॉर्ड (नक़्शे) में डोटेड लाईन से दर्शित एक कदीमी रास्ता पूर्व से पश्चिमी दिशा में बहुत वर्षों से प्रचलित है जो वर्तमान में भी मौके पर चालू है तथा उक्त रास्ते का 3/4 हिस्सा (पूर्व दिशा वाला भाग) नया खसरा संख्या 701 के अन्दर से प्रचलित है और उक्त रास्ते का शेष 1/4 हिस्सा (पश्चिम दिशा वाला भाग) खसरा संख्या 682 व खसरा संख्या 701 के मध्य की सीमा के ऊपर से प्रचलित है और इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड (नक़्शे) में डोटेड लाईन से दर्शाया हुआ है। लेकिन पटवारी हल्का राजस्व ग्राम कोलसिया ने वर्तमान रास्ता–प्रस्ताव के साथ संलग्न नक़्शे में प्रचलित रास्ते को खसरा संख्या 682 व खसरा संख्या 701 के मध्य में सम्पूर्ण सीमा पर गलत अंकन करके नक्शा तैयार किया है और उक्त गलत नक़्शे को आवेदक (तहसीलदार नवलगढ़) ने प्रमाणित करके न्यायालय श्रीमान में पेश किया है। यह कि राजस्व ग्राम कोलसिया की सरहद में स्थित नया खसरा संख्या 682 का खातेदार–काश्तकार अनावेदक संख्या 57 रामेश्वर लाल है। अनावेदक रामेश्वर लाल के उक्त खेत के पश्चिमी दिशा में सटकर नया खसरा संख्या 702 स्थित है जिसके खातेदार–काश्तकार मामचन्द (अनावेदक संख्या 90) वगैरह हैं। उक्त खसरा संख्या 702 के राजस्व रिकॉर्ड (नक़्शे) में डोटेड लाईन से दर्शित एक कदीमी रास्ता पूर्व से पश्चिमी दिशा में बहुत वर्षों से प्रचलित है जो वर्तमान में मौके पर चालू है तथा उक्त रास्ता खसरा संख्या 702 के बीच से गुजरता है और इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड (नक़्शे) में डोटेड लाईन से दर्शाया हुआ है। खसरा संख्या 702 का खातेदार–काश्तकार मामचन्द अपने खेत के मध्य से प्रचलित रास्ते की स्थिति को समय–समय पर अपने ही खेत के अन्दर स्वयं की सुविधानुसार परिवर्तित करता रहता है। खसरा संख्या 702 के सम्बन्ध में वर्तमान रास्ता–प्रस्ताव में पटवारी हल्का राजस्व ग्राम कोलसिया ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड (नक़्शे) में डोटेड लाईन से अलग जगह पर दर्शाया है । यह कि वर्तमान प्रस्ताव में प्रस्तावित रास्ता कुछेक खेतों तक ही सीमित रह जाता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता कोलसिया गाँव के आबादी क्षेत्र को जोडता नहीं है जिसकी वजह से कोलसिया गाँत के आबादी क्षेत्र के अन्दर आवासरत कृषकों (जो प्रश्नगत क्षेत्र में कृषि–भूमि के खातेदार–काश्तकार भी हैं) के लिये उनके खेतों तक ट्रैक्टर, वाहन, कृषि–यंत्र आदि लाना/ले जाना असम्भव रहेगा । कोलसिया गाँव का आबादी क्षेत्र व राजस्व ग्राम कोलसिया का नया खसरा संख्या 637 (जिससे वर्तमान प्रस्ताव में प्रस्तावित रास्ते की शुरुआत दर्शाई गई है) के मध्य में कृषि–भूमि के अनेक खसरा संख्या स्थित हैं जिनमें कटानशुदा रास्ता उपलब्ध नहीं है जैसे कि नया खसरा संख्या 750, खसरा संख्या 1784/626, खसरा संख्या 626 इत्यादि । कोलसिया गाँव के आबादी क्षेत्र में निवासरत सम्बंधित कृषकों (जो प्रश्नगत क्षेत्र में कृषि–भूमि के खातेदार–काश्तकार भी हैं) को वंचित करते हुए वर्तमान प्रस्तावानुसार रास्ते का कटान किया जाना औचित्यहीन व न्याय–विरुद्ध है। यह कि राजस्व ग्राम कोलसिया की सरहद में स्थित नया खसरा संख्या 682, नया खसरा संख्या 701, नया खसरा संख्या 702 व इसके आसपास की कृषि–भूमि का नक्शा सन 1979–80 की प्रमाणित प्रतिलिपि दस्तावेजों की सूची के साथ में संलग्न करके न्यायालय

[illegible] अधिकारी
[illegible]

श्रीमान में अलग से प्रस्तुत की जा रही है। इस प्रकरण में प्रश्नगत अन्य कृषि–भूमि से सम्बंधित राजस्व रिकॉर्ड, कार्यालय सदर कानूनगो, कलेक्ट्रेट झुंझुनूं में उपलब्ध है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त के लिए अनावेदक ने आवश्यक आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर रखा है। इसलिये निवेदन है कि आवेदक का उक्त प्रा. पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किया जावें।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। पैरो. राज. अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तथा राजस्व रिकार्ड के अंकन तथा आमजन के हितों का हवाला देते हुये प्रा. पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अनावेदक ने कोई उजर/एतराज पेश नही किया।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रा. पत्र द्वारा लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ द्वारा ग्राम कोलसिया में पूर्व से प्रचलित कदीमी रास्ते होने, रास्ता बाहरमासी होने, तथा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने से लोकहित होने से पेश किया गया है। जिसमे रास्ते से प्रभावित अधिकतर काश्तकारों द्वारा कोई एतराज/उजर पेश नही किया है। पत्रावली पर यह साबित भी है उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रचलित कदीमी/कटाणी/बारहमासी है। इसलिये तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रा. पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60,66,86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार **नवलगढ** के द्वारा अभिशंसित संलग्न प्रस्ताव अनुसार, राजस्व ग्राम कोलसिया के राजस्व अभिलेख में प्रचलित/कटाणी/बारहमासी रास्ता जो, खसरा नं. 637, 638, 640, 641, 699, 642, 643, 657, 659, 660, 695, 696, 700, 701, 682, 681, 680, 702, में राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये (पृथक से नामान्तकरण किये) तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। **तहसीलदार नवलगढ को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त आदेश के अनुसरण में पालना सुनिश्चित करे। यदि उक्त आदेश से प्रभावित खसरा नंम्बरान पर पूर्व से किसी दिगर न्यायालय का स्थगन प्रभावी है तो, स्थगन आदेश से मुक्त होने पर उस खसरा नम्बर पर इस आदेश के तहत पालना की जावे। तहसीलदार नवलगढ द्वारा पत्रांक/राजस्व/24/646 दिनांक 21.10. 2024 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव मय संलग्न नजरी नक्शा उक्त आदेश का भाग होगा।** तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। आदेश आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ